VC0/23/777
07/07/21

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

दिनांक : 05 जुलाई 2021

बैठक की कार्यवाही

माननीय कुलपति जी द्वारा मा० कांशीराम शोधपीठ के बजट 2021–22 तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 19–6–2021 को एक समिति गठित की गई थी। उक्त समिति की बैठक आज दिनांक 5/7/2021 को प्रातः 11:00 बजे मा० कांशीराम शोधपीठ, मेरठ में सम्पन्न हुई।

समिति सदस्य :

1. प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी, संकायाध्यक्ष कला,
2. प्रो० योगेंद्र सिंह, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
3. प्रो० पवन कुमार शर्मा, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,
4. प्रो० अतवीर सिंह, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,

समिति के सदस्यों ने मा० कांशीराम जी शोधपीठ में पूर्व वर्षों में प्रस्तुत लघु शोध तथा प्रकाशित शोध जर्नल सहित, शोधपीठ में संपन्न कार्यक्रमों आदि पर निदेशक डॉ० दिनेश कुमार से विस्तृत चर्चा की।

चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से निम्न लिखित निर्णय लिए गए :–

मद संख्या – 1: लघु शोध : रू० 2,40,000/– (दो लाख चालीस हजार) मात्र का आवंटन परिसर मे कला संकाय के नियमित विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यनरत द्वितीय वर्ष सेमेस्टर (III & IV) के विद्यार्थियों को 6 माह का (सितम्बर–फरवरी) लघु शोध कार्य दिया जाए। फरवरी माह के बाद शोध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। लघु शोध आवंटन तथा मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय से संबंधित विभागों के विषय विशेषज्ञ रहेंगे। मूल्यांकन में आंतरिक के साथ–साथ बाह्य विशेषज्ञों का एक पैनल (जिनमें भाषाओं से एक तथा समाज विज्ञान के विषय में एक (कुल दो) विशेषज्ञ रहें।) रहेगा। एक वित्त वर्ष मे अधिकतम 30 लघु शोध कार्य स्वीकृत किए जाएं। इस हेतु प्रति वर्ष रु 2.40 (दो लाख चालीस हजार) लाख आवंटन किया जाए।

मद संख्या – 2: यथावत (निदेशक तथा विशेषज्ञों के व्याख्यान हेतु मानदेय रू० 65000/)

मद संख्या – 3: जर्नल प्रकाशन हेतु रु 70 हजार का आवंटन।
पुस्तकालय में पुस्तकों हेतु रु 50 हजार का आवंटन।
शोध जर्नल, शोध पत्रिकाओं/समाचार पत्रों आदि हेतु रु 20 हजार आवंटन।
(शोध पत्रिका Journal of Socio-Economic Review के सभी अंकों की एक–एक प्रति कला संकाय के विभागों तथा 5 प्रतियाँ केन्द्रीय पुस्तकालय में भी प्रेषित की जाए।)

मद संख्या – 4: यथावत (आकस्मिक व्यय परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा आवागमन व्यय सहित रू० 50000/–) का आवंटन

मद संख्या – 5: यथावत (अन्य व्यय रू० 5000/–)

(प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी) 5/7/2021 (प्रो० योगेंद्र सिंह) 5/7/21 (प्रो० पवन कुमार शर्मा) (प्रो० अतवीर सिंह) 05.07.202

मा० कुलपति जी
अनुमोदनार्थ प्रेषित
5/7/2021

14.7.21

सन्दर्भ सं0 M.K.R.S.P/014
दिनांक 31.3.09

प्रेषक:
कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

सेवा में,

सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय : मा0 कांशीराम जी शोध पीठ की वर्ष 2008–09 की प्रगति रिपोर्ट एवं वर्ष 2009–10 का प्रस्ताव

महोदय,

शासनादेश 239/उन्नीस–2–2008 दिनांक 7 मार्च 08 एवं सं0 807/सत्तर–4–2008–3(22) 2007 दिनांक 11 मार्च 2008 जिसे सन्दर्भित कर निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शिक्षा डिग्री लेखा अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री लेखा/278/2007–08 दिनांक 14 मार्च 2008 के द्वारा कुलसचिव चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को प्रेषित कर चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय को मा0 कांशीराम शोध पीठ की स्थापना हेतु रु0 पन्द्रह लाख हस्तांतरित करने का आदेश प्राप्त हुआ था।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट निम्नवत है:–

1. पीठ के तत्वावधान में 15.03.08 से अब (28.03.09) तक शोध विषयक संगोष्ठी, पुस्तकालय स्थापना, स्मृति व्याख्यान, शोध प्रकल्प, अन्य शोध, प्रकाशन आदि के कार्यों की एक रिपोर्ट संलग्न हैं (संलग्नक–1) ।
2. पीठ के तत्वावधान में वर्ष 2009–10 में किये जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों, शोध प्रकल्प, प्रकाशन, पुस्तकालय, व्याख्यानों आदि का प्रस्ताव संलग्न है (संलग्नक–2) ।
3. प्रारम्भ में उपरोक्त प्राप्त धनराशि रु0 15 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र (कुल उपयोग 31.03.09 तक) वित्त नियंत्रक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में निवेदन है कि वर्ष 2009–10 के प्रस्तावित शैक्षिक एवं शोध कार्यों को अनुमोदित करते हुये प्रस्तावित धनराशि शीघ्रातीशीघ्र अवमुक्त करने की कृपा करें।

सादर,

(वी0 के0 सिन्हा)
कुलसचिव
चौ0 च0 सिंह वि0वि0, मेरठ

(एच0एन0शुक्ला)
वित्त नियंत्रक
चौ0 च0 सिंह वि0वि0, मेरठ

for

(जे0के0पुण्डीर)
निदेशक, मा0 कां0रा0शो0 पीठ
चौ0 च0 सिंह वि0वि0, मेरठ

o/c MaKRSP

Scanned with CamScanner

20354
26/12/18

सत्यमेव जयते

BABU JAGJIVAN RAM NATIONAL FOUNDATION

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, GOVERNMENT OF INDIA

6, Krishna Menon Marg, New Delhi-110011
Ph.: 011-23794307, 23794319

File No.- 01(103)/BJRNF/2014

17 December, 2018

Sub:- Setting up of Babu Jagjivan Ram Chair in Ch. Charan Singh University, Meerut, UP.

Sir,

I am directed to refer your letter No.PA/8902 dated 2nd January, 2017 regarding setting up of Babu Jagjivan Ram Chair in the Ch. Charan Singh University and to say that your proposal for setting up Babu Jagjivan Ram Chair in the Department of Political Science of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, UP has been approved by the Competent Authority of the Foundation with the topic of research i.e. "Legislative and Executive Political Behaviour of Babu Jagjivan Ram". The Chair will be estsablished initially for one year which can be extended for one more year based on the proformance/ quality of research work/ papers to be published by the Chair.

It is requested that Babu Jagjivan Ram Chair may be established in the Department of Political Science of your university. The Chair will be fully financed by the Foundation. A copy of scheme along with a copy of MOU to be signed between the Babu Jagjivan Ram National Foundation and the Ch. Charan Singh University is enclosed. It is requested that the MOU duly signed by the competent authority of the university may be returned to the Foundation at the earliest.

In view of the above, you are requested to issue necessary instructions to the concerned to take the necessary action to establish a chair in the name of Babu Jagjivan Ram at the earliest.

Yours faithfully

(Pramod Chand)
Director

Encl:-As above.

To
Prof N.K. Taneja
Vice-Chancellor,
Ch. Charan Singh University,
Meerut, U.P. - 250005

Prof S. K. Sharma

31-12-18

VICE-CHANCELLOR

BABU JAGJIVAN RAM NATIONAL FOUNDATION
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, GOVERNMENT OF INDIA
6, Krishna Menon Marg, New Delhi-110011
Ph. 011-23794307, 23794319

File No - 01(301)/Chair/BJRNF/2019

2nd August, 2019

Sub: - Transfer of amount through NEFT
Babu Jagjivan Ram Chair

Sir,

Please refer to your letter dated 12th July, 2019 regarding release of one time grant of Rs. 2 lakh to start the activities and to meet the initial establishment cost of Babu Jagjivan Ram Chair in the Ch. Charan Singh University.

2 It is intimated that one time grant of Rs. 2 lakh has been released into the account of the university through NEFT as per details provided vide your letter under reference.

3 You are requested to confirm receipt of payment.

Yours faithfully,

(P.L. Birdi)
Research Executive

To

Dr. Pawan Kumar Sharma
Professor
Department of Political Science
Ch. Charan Singh University
Meerut-250005

o/c

समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 115 /सत्तर–4–2019–1115/2017

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
3. संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
4. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद
5. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ
6. चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
7. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
8. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
10. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषय :– पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1774/सत्तर–4–2018–1115/2017, दिनांक 04.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 50.00 लाख की धनराशि (दो किश्तों में) प्रति विश्वविद्यालय अवमुक्त किया गया। प्रथम किश्त अवमुक्त किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–68/2017/1809/सत्तर–4–2017–1115/2017, दिनांक 01.12.2017 के प्रस्तर–1 में निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है:–

1. विश्वविद्यालय में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि से शोध कार्यों हेतु निधि की स्थापना की जाएगी, जिससे अर्जित होने वाले ब्याज से आगामी वर्षों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व व चिंतन के सम्बन्ध में सेमिनार/वर्कशॉप/सिम्पोजिएम का आयोजन किया जाएगा।
2. 10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग शोध पीठ की स्थापना हेतु पुस्तकों के क्रय व शोध पत्रों के प्रकाशन पर किया जाएगा।
3. 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापना के लिए प्राथमिकताए निर्धारित कर आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर नियमानुसार व्यय की जाएगी।

2– कृपया उक्त शोधपीठ के स्थापना हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं शोधपीठ द्वारा अब तक के किया–कलाप **(Activities)** का विवरण शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

9/320 08/2/2021

संख्या- 12 /2021/279/सत्तर-4-2021-04(2)/2021

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रो0 (एस0 एस0 गौरव जी)

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-08/रा0उ0शि0प0/4/10 II, दिनांक 08.01.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	समन्वयक का नाम	शीर्षक	अनुमोदित अनुदान	स्वीकृत धनराशि
1	Department of Agriculture	Prof. Shailendra Singh Gaurav	Center of Excellence on Training & Skill Development on Food Science and Technology	4.50 लाख	4.50 लाख

(रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)

2- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।

3- प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

4- योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

5- सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

6- एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

7- धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय

द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

10- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

12- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 91/2021/2095 /सत्तर-4-2021-04(17)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र संख्या-363/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 26.08.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू0 79,67,500/- (रूपये उन्यासी लाख सडसठ हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र0	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	**जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया**			
1.1	Dr. Anil Kumar (Department of Sociology)	Empowering women from Weaker Sections of Ballia District through Vocational Skills	सैलरीज/हॉनरेरियम	150000
			उपकरण	200000
			टी0ए0/डी0ए0 फॉर विजिटिंग फैकल्टी	150000
			कम्यूनिकेशन एवं स्टेशनरी	50000
			आकस्मिकता	25000
			योग	**575000**
2	**डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ**			
2.1	Dr. Sanjay Singh (Department of Sociology)	Status of the Forest Communities in the State of Uttar Pradesh (A sample of three forest divisions, one each from eastern, central and western Uttar Pradesh will be selected for the present Study)	फील्ड वर्क स्टडी	210000
			फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	270000
			सेमिनार	110000
			योग	**590000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	**प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज**			
5.1	Prof. Vivek Kumar singh (Department of Centre for Social work)	Community Development and livelihood in Prayagraj Region	रिसर्च एसोसिएट	100000
			हियरिंग सर्विस	50000
			फील्ड वर्क, ट्रैवल एण्ड अलावन्सेज	25000
			डाटा प्रोसेसिंग	50000
			आकस्मिकता	25000
			उपकरण	150000
			बुक्स एण्ड जर्नल्स	50000
			योग	**450000**
6	**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**			
6.1	Dr. Mukesh Kumar Sharma (Department of Mathematics)	Fuzzy/Intuitionstic Transportation and Transshipments in context of Computational Artificial Intelligence	उपभोज्य सामग्री	50000
			मैन पावर	300000
			आकस्मिकता	25000
			मेन्टिनेंस	50000
			यात्रा	50000
			योग	**475000**
कुल योग				**7967500**

(1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।

(2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

(3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

(6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे

(13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अब्दुल समद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-79/2021/1528/सत्तर-4-2021-04(17)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 09 अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 28.06.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्नक विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू0 22.25 लाख (रूपये बाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र0	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
1.1	Dr. Alka Misra (Department of Mathematics & Astronomy)	Investigation of Interstellar Reactions of Prebiotic Molecules vital for the Formation and Evolution of Extra-terrestrial Intelligence.	उपकरण	100000
			शोध सहायक	200000
			आकस्मिक व्यय	40000
			यात्रा व्यय	10000
			योग	350000
2	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Praveen Kumar Rai (Department of Geography)	Remote Sensing Based Landslide Risk Assessment along Mussoorie-Dhanaulti Region of Uttrakhand : An approach towards Building Climate and Disaster Resilience in Communities	उपकरण	350000
			यात्रा व्यय	50000
			आकस्मिक व्यय/उपभोज्य वस्तुएं	50000
			योग	450000
3	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
3.1	Dr. Yeshvandra Verma (Department of Toxicology)	Toxicity risk assessment of silver nanoparticles using bioluminescent bacterial biosensor	उपकरण	200000
			व्यय योग्य /उपभोज्य वस्तुएं	300000
			योग	500000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.2	Prof. Vighnesh Kumar (Department of History)	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1857 के क्रान्तीवीरों से सम्बद्ध मौखिक, ऐतिहासिक एवं पुरास्मारकीय विरासत का भौतिक-सर्वेक्षण, साक्ष्य-संकलन, पाठ-सम्पादन, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रकाशन	उपकरण	100000
			रिसर्च फेलो	200000
			यात्रा व्यय	50000
			आकस्मिक व्यय	50000
			योग	400000
4	डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा			
4.1	Prof. Anil Kumar Verma (Department of History & Culture)	"The Making of Modern Agra (1803 AD-1857AD)	उपकरण	200000
			रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिक व्यय	50000
			यात्रा व्यय	25000
			विशेषज्ञों को मानदेय	50000
			योग	525000
			कुल योग	2225000

(1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।

(2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

(3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

(6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(12) इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
अब्दुल समद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-70/2022/1543/सत्तर-4-2022 /001-70-4099-7-2022

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
5. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2022

विषय:-"सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अधीन गठित एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-466/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 27.10.2021, पत्र संख्या-10/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 08.01.2022 एवं पत्र संख्या-555/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 29.12.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1,12,34,000/- (रूपये एक करोड बारह लाख चौंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	को-आर्डिनेटर/ विभाग	विषय/शीर्षक	संस्तुत धनराशि का मदवार विरण	
			मद	धनराशि (रूपये में)
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय , बरेली				
1	Dr. Abha Trivedi (Department of Animal Science)	Strategies fro Aquaculture in Stressed Environment	प्रोजेक्ट फेलो	90000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000
			आकस्मिकता	82000
			मैंटिनेन्स	50000
			एक्वेरिया	50000
			योग	**337000**

			उपभोज्य सामग्री	50000
			फील्ड वर्क	25000
			योग	**260000**
25	Prof. Chandana Dey (Department of Education)	A Study of the effect of Drug Abuse on Personality, Intelligence, Mental Health and Academic Achievement of Post Graduate Students of Universities in UP.	प्रोजेक्ट फेलो	90000
			फील्ड इनवेस्टीगेटर	72000
			फील्ड वर्क/ लॉजिस्टिक्स	50000
			आकस्मिकता	50000
			डाटा एनालिसिस/ साफ्टवेयर्स	50000
			योग	**312000**
26	Dr. Md. Jawaid Akhtar (Department of Persian)	Centre for Advanced Studies in Sufi-Bhakti Comparative Literature	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			बुक्स , जर्नल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स	60000
			डेस्कटॉप , प्रिंटर, स्कैनर	60000
			योग	**300000**
27	Dr. Zaibun Nisa (Department of Commerce)	A Study on Impavt of government's Entrepreneurial Development Schemes: with special reference to ODOP Programme	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			फील्ड वर्क	30000
			आकस्मिकता	30000
			उपकरण एण्ड स्टडी मैटेरियल	50000
			योग	**290000**
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय , मेरठ				
28	Dr. Shiv Raj Singh (Department of Mathematics)	New Dimensions in Vedica Mathematics.	अनावर्ती व्यय- उपकरण आदि	100000
			प्रोजेक्ट फेलो	90000
			आकस्मिकता	25000
			वर्कशाप	75000
			यात्रा	25000
			योग	**315000**
29	Prof. Atvir Singh (Department of Economics)	Fiscal Adjustments and Growth Prospects in India	अनावर्ती व्यय- उपकरण आदि	100000
			प्रोजेक्ट फेलो	90000
			बुक्स , रिपोर्ट्स एण्ड जर्नल्स	50000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	25000
			योग	**290000**

30	Dr. Anil Kumar Malik (Department of Physics)	Development of high Intensity Terahertz (THz) Source: Applications in THz imaging	कम्प्यूटर/लैपटाप एण्ड साफ्टवेयर्स	200000
			प्रोजेक्ट फेलो	90000
			आकस्मिकता	50000
			योग	**340000**
31	Dr. Rama Kant (Department of Botany)	Establishment of germplasm collection of potential microalgae and their use for skill development for entrepreneurship	प्रोजेक्ट फेलो	90000
			उपभोज्य सामग्री	250000
			यात्रा	12500
			आकस्मिकता	12500
			ट्रेनिंग/वर्कशाप	50000
			योग	**415000**
32	Prof. Shailendra Singh Gaurav (Department of Genetics and Plant Breeding)	Liquid formulation of nano-pesticides against disease and pest management for potato & Sugarcane crop and evaluation of the toxicity of nano-particles on targeted crops.	प्रोजेक्ट फेलो	90000
			केमिकल्स एण्ड ग्लासवेयर्स आदि	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपकरण	100000
			योग	**415000**
33	Prof. Rahul Kumar (Department of Genetics and Plant Breeding)	Computational identification and Analysis of Genes involved in preferential distribution of Mineral Elements in the Wheat grains	उपकरण	100000
			प्रोजेक्ट फेलो	90000
			आकस्मिकता	50000
			बुक्स एण्ड जर्नल्स	50000
			यात्रा एवं फील्ड वर्क	25000
			योग	**315000**
34	Dr. Sanjeev Kumar (Department of Economics)	A Study of Impact Assessment of Covid-19 on Rural Economy and Agriculture Sector in Uttar Pradesh	अनावर्ती व्यय-उपकरण आदि	150000
			प्रोजेक्ट फेलो	75000
			आकस्मिकता	50000
			बुक्स , रिपोर्ट्स एण्ड जर्नल्स	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	**350000**
			सम्पूर्ण योग	**11234000**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

(3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

(6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा । इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा ।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्तावक्षर करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,12,34,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202031024900 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-11-27-X-2022-23, दिनांक- 6-7-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।।

भवदीय,

Signed by सर्वेश कुमार सिंह
(सर्वेश कुमार सिंह)
Date: 07-07-2022 16:52:08
संयुक्त सचिव।
Reason: Approved

संख्या-70/2022/1543(1)/सत्तर-4-2022/001-70-4099-7-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
अनु सचिव।

GFR 12-C

[See Rule 239]
Form Utilization Certificate

(For State Governments)
(Where expenditure incurred by Government bodies only)
(Infrastructure Grants to Colleges/Universities)

Sl. No.	Letter no. and date	Amount
1.	280/70-3-2014-7(73)/2013 dt.09.03.2015.	1,83,33,333.00
2.	05/2018/735/70-3-2018-7(73)/2013TC dt.27.03.2018	6,05,14,580.75
3.	06/2018/735/70-3-2018-7(73)/2013TC dt.27.03.2018	58,56,249.75
4.	07/2018/735/70-3-2018-7(73)/2013TC dt.27.03.2018	1,17,12,499.50
5.	13/2018/1484/70-3-2018-7(73)/2013TC Dt. 08.10.2018	4,18,70,000.00
6.	14/2018/1983/70-3-2018-7(73)/2013TC Dt. 08.10.2018	49,85,501.00
7.	15/2018/1984/70-3-2018-7(73)/2013TC Dt. 08.10.2018	39,04,000.00
8.	Dt. 04.11.2019	28,23,000.00
9.	289/SPD/RUSA/8/15 Dt. 23/01/2021	3,00,00,002.00
10.	306/SPD/RUSA/08/15 Dt. 17/03/2021	2,00,00,000.00

Certified that out of Rs. 20,00,00,000.00 of Grants sanctioned during the year 2014-15 in favour of Ch. Charan Singh University, Meerut. Under the Ministry/ Department Letter No. given in the margin and Rs Nil on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 20,00,00,002.00 has been received till date out of which Rs.14,79,00,000.00 has been utilized for the purpose of RUSA PROJECT for which it was sanctioned and that the balance of Rs.5,21,00,000.00 remaining unutilized will be adjusted towards the grants payable during the next year 2021-22.

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned

Kinds of checks exercised

1.
2.

28/6/2021
Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

28/6/21
Finance Officer
Ch. Charan Singh University
Meerut

28/6/21
RUSA, COORDINATOR
Ch. Charan Singh University
Meerut

Signature .....

Designation .....

Date.....

5- The UC shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to carried forward.

संख्या- 78/2022/1984 /सत्तर-4-2022- 003-70-4099/7/022

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2022

विषय:-"सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अधीन गठित एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-239/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 03.06.2022 एवं पत्र संख्या-261/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 17.06.2022 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1,57,77,000/- (रूपये एक करोड सत्तावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	को-आर्डिनेटर/विभाग	विषय/शीर्षक	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण (रूपये में)	
			मद	धनराशि (रूपये में)
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
1	Dr. Mohit Kumar (Department of Business Management)	Centre for Excellence in Awareness about Capital Markets	उपकरण	100000
			आकस्मिकता	20000
			उपभोज्य सामग्री	10000
			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	**160000**

		microorganism/organic ameliorants for Green Energy	आकस्मिकता	200000
			हियरिंग सर्विस	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	100000
			योग	**2524000**
	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या			
17	Dr. Anil Kumar (Department of Physics & Electronics)	Dielectric, Optical and Electrical Studies on nano-material doped Liquid Crystals for Energy saving Display devices	उपकरण	600000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	20000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			योग	**910000**
18	Dr. Vinod Kumar Chaudhary (Department of Environmental Sciences)	Decadal scale geomorphic changes, migration and flood mitigation of the Saryu River in the Ayodhya District, Uttar Pradesh	उपकरण	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	10000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	**365000**
	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
19	Prof. Sanjeev Kumar Sharma (Department of Physics)	Synthesis of Ag-doped ZnO-Go nanocomposites for Gas sensor applications	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपकरण	250000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	**630000**
20	Dr. Anuj Kumar (Department of Physics)	Development of Environmentally safe flexible Nano-Composite polymer Gel electrolytes (NCPGE) for efficient super capacitors	उपकरण	140000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	30000
			उपभोज्य सामग्री	70000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**320000**
21	Neelu Jain Gupta (Department of Zoology)	Chronobiological investigation into putative metabolic-obesity biomarkers in human cohorts for diabetes risk-factor using migratory birds as pathology free models for type-2 diabetes	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			यात्रा/फील्ड वर्क	50000
			योग	**380000**
	डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा			
22	Prof. Achla Gakkhar (Institute of Home Science)	Centre of Excellence for Women Empowerment	उपकरण	500000
			मेंटिनेन्स	100000
			बुक्स	100000
			अर्गोनॉमिक्स टूल्स एण्ड रॉ मैटेरियल्स फार ट्रेनिंग पर्पज	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000

			01 टेक्निकल असिस्टेंट	120000
			ट्रेनिंग/वर्कशाप	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	**1300000**
23	Prof. Manu Pratap Singh (Department of Computer Science)	Study, Research and development of machine learning techniques for data analysis and pattern recognition	उपकरण एवं साफ्टवेयर्स	500000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	20000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			वर्क स्टेशन	100000
			योग	**870000**
24	Dr. Ajay Taneja (Department of Chemistry)	Role of Green Chemistry in controlling Environmental Pollution	01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	250000
			उपभोज्य सामग्री/केमिकल्स	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	**660000**
25	Dr. Sanjeev Kumar (Department of Mathematics)	Proposal for Centre of Excellence (Advance Mathematical Software Lab as per NEP-2020 requirements)	उपकरण	500000
			साफ्वेयर्स एण्ड ई-बुक्स आदि	500000
			यात्रा	100000
			01 प्रोजेक्ट फेलो	180000
			01 टेक्निकल असिस्टेंट	144000
			ट्रेनिंग/वर्कशाप	100000
			आकस्मिकता	100000
			योग	**1624000**
			महायोग	**15777000**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

(3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

(6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा । इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा ।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्तावक्षर करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,57,77,000 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202031024900 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-11-79-X-2022-23, दिनांक- 24-08-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।।

भवदीय,

Signed by गिरिजेश कुमार त्यागी
Date: 24-08-2022 18:10:59
Reason: Approved

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।